

# राजस्थान आवासन मण्डल, जयपुर ::

क्रमांक-:प.1(1)कार्मिक/वरिष्ठ लेखाधिकारी/पदो./2019/651 दिनांक :- 30/5/2019

## कार्यालय आदेश

राजस्थान आवासन बोर्ड कर्मचारी (भर्ती एवं पदोन्नति) विनियम-2010 के नियम 35 के अन्तर्गत गठित विभागीय पदोन्नति समिति की बैठक दिनांक 29.05.2019 की अभिशंषा पर निम्नांकित लेखाधिकारी को वरिष्ठता-सह-योग्यता के आधार पर वरिष्ठ लेखाधिकारी के पद पर वर्ष 2019-20 की रिक्ति के विरुद्ध (वेतनमान 2017 के लेवल एल-16 में वेतन श्रंखला 67300-195000) पदोन्नत किया जाता है :-

क्र.सं.	नाम पदोन्नत अधिकारी	रिक्ति की तिथि
1	डॉ. शशी कान्त शर्मा	01.10.2019

पदोन्नति पर पदस्थापन आदेश पृथक से जारी किये जायेंगे।

उपरोक्त पदोन्नत राजसेवक को पदोन्नति हेतु निर्धारित कार्यानुभव में छूट प्रदान की गयी है। अतः इनका वेतन स्थिरीकरण राजस्थान सेवा नियमों के नियम 26 ए के अन्तर्गत किया जावेगा।

उक्त आदेश सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

(राजीव जैन),  
सचिव

## प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

1. निजी सचिव-अध्यक्ष/आवासन आयुक्त/सचिव/वि.स. एवं मु. लेखाधिकारी, राआम जयपुर।
2. निजी सचिव-मुख्य अभियन्ता- मुख्यालय/प्रथम/द्वितीय, राज. आवासन मण्डल, जयपुर।
3. अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता ...../उप आवासन आयुक्त,.....।
4. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-.....राज0 आवासन मण्डल, .....।
5. सिस्टम एनालिस्ट (संयुक्त निदेशक), राज0 आवासन मण्डल, जयपुर।
6. संबंधित प्रकोष्ठ मुख्यालय..... राज0 आवासन मण्डल, जयपुर।
7. लेखाधिकारी (भुगतान)/एसीआर/गोपनीय/विधि प्रकोष्ठ, रा0आ0 मण्डल, जयपुर।
8. संबंधित श्री .....।
9. संबंधित की निजी/रक्षित पत्रावली।

  
वरिष्ठ कार्मिक प्रबंधक